



2026:AHC-LKO:40887

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ**आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 5292 वर्ष 2025**

शंभू कुमार यादव एवं अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : विशुन नारायण, रवीन्द्र शुक्ला, सुशांत कुमार कबीर

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदकों की ओर से दायर किया गया है, जिसमें उन्हें स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20/23 (ख) के तहत मुकदमा अपराध संख्या 318/2024, पुलिस स्टेशन- गौरीगंज, जिला- अमेठी में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदकगण निर्दोष हैं और 17.09.2024 से जेल में हैं। उन्होंने आगे निवेदन किया कि सह-आरोपी छविनाथ प्रसाद गुप्ता, जिसकी भूमिका आवेदकों के समान है, को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2026 को आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 12534/2024 में पारित आदेश के माध्यम से

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पहले ही जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि आवेदकों के पास से केवल 120 रुपये बरामद हुए हैं और तीनों आरोपियों के संयुक्त कब्जे से एक क्विंटल और 10 किलो गांजा बरामद हुआ है। इन परिस्थितियों में आवेदकगण भी जमानत के पात्र हैं। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकों की जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि सह-आरोपी - छविनाथ प्रसाद गुप्ता को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी दलीलों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री, अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों, सह-आरोपी छविनाथ प्रसाद गुप्ता के जमानत आदेश (जिसे आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और अभिलेख में लिया गया है), समानता के आधार के साथ-साथ तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं।

6. जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. उपर्युक्त मामले में याचिकाकर्ता **शंभू कुमार यादव और इमरान शाह** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदकगण किसी ऐसे अपराध को न तो करेगा और न ही उसमें भाग लेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(i i) आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(i i i) आवेदकगण को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, अधीनस्थ न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(i v) आवेदकगण प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-क भा०दं०सं०/269 भा०ना०सु०सं० के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं०प्र०सं०/84 भा०ना०सु०सं० के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-क भा०दं०सं०/209 भा०न्या०सं० के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(v i) आवेदक को (1) मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, (2) आरोप तय होने और (3) धारा 313 दं०प्र०सं०/351 भा०ना०सु०सं० के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यदि परीक्षण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो परीक्षण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

जून 11, 2026

अर्पण

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।